दिनांक 15.11.2022

प्रार्थी/अभियुक्त श्री कमल की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री टीका प्रसाद उपाध्याय उपस्थित। मेमो आफ ऐपीयरेन्स प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दोषी होने के अभिवचन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 192 मोटर वाहन अधिनियम चालान प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध परमिट की शर्त के उल्लंघन का विवरण नहीं है, जिस कारण अभियुक्त को अंतर्गत धारा 192 मोटर वाहन अधिनियम में दण्डित किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। दोषी होने के अभिवचन प्रस्तुत किये जाने के आधार पर अभियुक्त को अंतर्गत धारा 177 रू0 500 (पांच सौ रूपये) जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को 10 दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

रवि प्रकाश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।